आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 697/2022 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

मैसर्स कन्हैयालाल प्रकाश चंद जरिये भागीदार प्रकाश चन्द वरिन्दानी पता–सीएच 5, सूरजपोल अनाज मण्डी, जयपुर, निवासी 153 कंवर नगर, जनता मार्केट, चांदी की टकसाल, जयपुर ।

बनाम

प्रार्थी ऋणी

पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यलय न्यू ट्रक स्टेण्ड, ट्रान्सपोर्ट नगर, जयपुर ।

अप्रार्थी बैंक

प्रार्थना पत्र बाबत रिकाल किये जाने आदेश दिनांक 20.10.2022
धारा 14 सरफेशी एक्ट

उपस्थित–

1. श्री सियाराम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. प्रतिनिधि अप्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक **10.01.2023**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अधिवक्ता ने इस न्यायालय में धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 348/2019 (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) ब उनवानी पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स कन्हैयालाल प्रकाश चंद में पारित आदेश दिनांक 20.10.2022 को निरस्त/रिकाल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को नोटिस जारी किया गया । मूल मिसल शामिल की गई। अप्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से बैंक प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4- प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय आदेश दिनांक 20.10.2022 को पारित किया गया था जिसके तहत अप्रार्थीगण की सम्पत्ति मकान संख्या 153 कंवर नगर जनता मार्केट चांदी की टकसाल, जयपुर एवं सम्पत्ति सीएच–5 सूरजपोल, अनाज मण्डी जयपुर में स्थित स्टॉक, दाल, बेसन व चावल इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिये जाने के सन्दर्भ में पुलिस सहायता के आदेश जारी किये है एवं पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भी आदेश दिया गया है कि संबंधित पुलिस थानाधिकारी को उसके चाहे जाने पर पुलिस इमदाद उपलब्ध करायी जावे। न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करते वक्त

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अप्रार्थीगण को सुनवाई का कोई नोटिस जारी नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है जिसके सन्दर्भ में प्रकरण विजय पाण्डे बनाम यूको बैंक 2021 पार्ट–1, एनआईजे 244 के तहत यह आदेश पारित किया गया था कि धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के लिए ऋणी व गारन्टर को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार मैसर्स रेमो सफ्टवेयर प्रा॰ लि॰ बैगलौर बनाम एचडीबी फाईनेन्स सर्विस लि॰ अहमदाबाद एआईआर 2017 कर्नाटका पेज संख्या 165 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त हर्षद गोवर्धन सोण्डागर बनाम इन्टर नेशनल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी में पारित न्यायिक दृष्टान्त 2014 पार्ट–6 एस एस सी पेज संख्या 01 में भी यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत सुनवाई किये जाने से पूर्व ऋणी व गारन्टर को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, किन्तु इस प्रकरण में अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया ना ही प्रार्थी बैंक द्वारा बार बार पेश किये गये शीद्य सुनवाई के प्रार्थना पत्रों पर अप्रार्थीगण की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस कारण से जो आदेश 20.10.2022 कों पारित किया गया है, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है इस कारण से उक्त आदेश को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई किया जाना एवं न्याय संगत है। प्रार्थी बैंक ने सम्पत्ति का बेचान दिनांक 16.12.2019 को जितेश लालवानी पुत्र पुरूषोतम लालवानी निवासी म॰सं॰ 7 प्रतिक्षा बल्लभनगर गुमानपुरा कोटा के हक मे कर दिया था जिसकी सूचना प्रार्थी बैक को न्यायालय में दी जानी आवश्यक थी। चूंकि बैंक द्वारा सम्पत्ति का बेचान दिनांक 16.12.2019 को ही कर दिया गया था, ऐसी सूरत में बैंक द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 14 न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं था और 16.12.2019 के बाद ही खारिज किये जाने योग्य था, किन्तु उसके बावजूद भी प्रकरण आगे तक चलता रहा और दिनांक 20.10.2022 को आदेश कर दिया गया जो सरासर गलत है। दिनांक 16.12.2019 के बाद सम्पत्ति का मालिक जितेश लालवानी हो चुका था इसक बाद यह प्रार्थना पत्र स्वत निरस्त होने योग्य था, कितु प्रार्थी बैंक ने माननीय न्यायालय के समक्ष सही व वास्तविक स्थिति नहीं बताई और गलत आदेश न्यायालय से प्राप्त कर लिया । इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 20.10.2022 को रिकाल करते हुए पुनः सुनवाई किया जाकर सही एवं उचित निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । प्रार्थी बैंक द्वारा सम्पत्ति का बेचान करने के बाद अप्रार्थी बैंक का सम्पत्ति पर किस प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं रहा है और बेचान दिनांक 16.12.2019 को ही कर चुका है तथा माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.10.2022 को पारित किया गया है। ऐसी सूरत में उक्त आदेश को रिकाल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर आलौच्य आदेश दिनांक 20.10.2022 को अपास्त किया जावे।

5- बैंक के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि सरफेशी अधिनियम की धारा 14(3) के अनुसार धारा 14 की अनुपालना मुख्य महानगर दंडनायक अथवा जिला दंडनायक का कोई भी कार्य किसी न्यायालय में या किसी अधिकारी के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

समक्ष प्रश्नांकित नहीं किया जायेगा। अतः प्रथम दृष्टया ही प्रकरण रद्द करने योग्य है एवं इसमें ऋणी जमानतदार अथवा किसी भी तृतीय या अन्य पक्ष को सुनने का कोई अधिकार नहीं है। बैंक द्वारा सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधान में प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सम्पत्ति के सिम्बोलिक पजेशन के आधार पर नियमानुसार ई नीलामी में दिनांक 16.12.2019 को सम्पत्ति का विक्रय किया गया है जिसे छिपाया नहीं गया बल्कि माननीय न्यायालय को प्रत्येक पेशी के दौरान मौखिक रूप से इसकी सूचना हर पेशी पर दी गई थी। ऋणी एवं जामनतदार को भी इसकी सूचना दी गई थीं एवं नियमानुसार दो समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन कराया गया था । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा कोई भी अनियमितता नहीं की गई। जब ऋणी द्वारा यह मान लिया गया कि संबंधित सम्पत्ति का मालिक दिनांक 16.12.2019 को श्री जितेश लालवानी हो चुका था तो फिर अभी तक भी यह सम्पत्ति ऋणी द्वारा उसे वर्तमान मालिक को सुपुर्द करने हेतु बैंक को क्यों नहीं दी गई। यही ऋणी की दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इतना ही नहीं माननीय न्यायालय द्वारा ऋणी को दिनांक 01.11.2019 को सूचना देने के पश्चात ऋणी द्वारा प्रकरण में सिविल न्यायालय को यह बताये बिना कि प्रकरण सरफेशी अधिनियम के तहत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के यहां लम्बित है, उनसे स्टे लेकर लगभग 3 वर्ष विलम्बित किया है। ऋणी द्वारा डीआरटी मे भी एसए दायर किया गया था, वह भी खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थी का रिव्यु प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया था। जिस पर विधिवत प्रकिया अपनाते हुये अप्रार्थी के स्वामित्व की सम्पत्ति जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिनांक 20.10.2022 को पारित किये जा चुके है। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित आदेश में रिव्यू किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऋणी द्वारा जो बिन्दू रिव्यु प्रार्थना पत्र में उठाये गये है उनको तय किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का रिव्यु/रिकाल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 10.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर